राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
84वीं विषेष बैठक दिनांक 28 मार्च, 2023

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 84वीं विषेष बैठक दिनांक 28 मार्च, 2023 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड षासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, कृषि एवं ग्राम्य विकास, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, पर्यटन, उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एवं महाप्रबन्धक (नेटवर्क–2), भारतीय स्टेट बैंक, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एषोसियेषन, उत्तराखण्ड एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - स्वामित्व कार्ड को Title documents बनाये जाने हेतु राज्य के राजस्व Act में संषोधन किया जाय तथा बैंक का अधिभार भूलेख पर दर्ज करने की व्यवस्था करें, जिससे स्वामित्व कार्ड को ऋण में प्राथमिक प्रतिभूति (Primary Security) के तौर पर बैंकों द्वारा साम्यिक बंधक (Equitable Mortgage) किया जा सकता है, का षासनादेष जारी किये जाने की षासन से अपेक्षा है।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)

2. Physical Access Indicators :

राज्य में नई बैंक षाखायें एवं ए.टी.एम. खोलना :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बैंक के षाखा/ ए.टी.एम. विस्तार की कार्य योजना (annual plan of branch expansion) एस.एल.बी.सी. कार्यालय को प्रेषित करें।
- उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रषा. का.–3, देहरादून द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - बद्रीनाथ धाम में भारतीय स्टेट बैंक की षाखा एवं ए.टी.एम. पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में माह मई, 2023 तक बैंक षाखा एवं ए.टी.एम. खोला जाना प्रस्तावित है तथा हर्षिल में भी मई, 2023 तक बैंक षाखा एवं ए.टी.एम. खोले जाने हेतु प्रयासरत हैं। हर्षिल षाखा के अंतर्गत एक मोबाईल ए.टी.एम. यात्रा अवधि में स्थाई रुप से गंगोत्री धाम में स्थापित किया जायेगा तथा यमनोत्री धाम में मोबाईल ए.टी.एम. की व्यवस्था की जायेगी।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा दूर–दराज क्षेत्रों में नई षाखा में V-SAT लगाये जाने हेतु बैंक नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है।
- इण्डियन पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 103 गांवों में से 36 गांवों में इण्डिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा बैंकिंग सेवायें प्रारम्भ की गयी है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
    - ➢ समस्त बैंक चार धाम यात्रा मार्ग पर, क्षेत्र की वास्तविक आवष्यकता एवं व्यवसायिक संभाव्यता को मध्यनजर रखते हुय नई बैंक षाखा एवं ए.टी.एम. खोलें तथा षाखा विस्तार की कार्य योजना (annual plan of branch expansion) एस.एल.बी.सी. कार्यालय को प्रेषित करें।
    - ➢ एस.एल.बी.सी., बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित 103 गांवों में बैंक षाखा खोलने हेतु आवष्यक सेवाओं (विद्युत एवं दूरसंचार सूविधा) की अनुपलब्धता को वर्णित कर, सूची षासन को प्रेषित करें।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी. / समस्त बैंक)

3. <u>Businecss Correspondents</u> :

<u>Common Service Centre</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
    - ➢ बी.सी. सर्टिफिकेषन कोर्स विषयक चर्चा के दौरान सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा समस्त बैंकों को निर्देषित किया गया कि वे उनके द्वारा नियुक्त बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेषन कोर्स यथाषीघ्र निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायें।
    - ➢ कॉमन सर्विस सेन्टर, नियुक्त बी.सी. को Indian Institute of Banking and Finance (IIBF) सर्टिफिकेषन कोर्स पूर्ण करायें।
    - ➢ एक्सिस बैंक In-Active बी.सी. को अविलम्ब Active करें।
- अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
    - ➢ राज्य में कार्यरत बैंक सखीयों को बी.सी. के कार्य के संदर्भ में प्रषिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रषिक्षित बैंक सखियों की सूची एस.एल.बी.सी. को प्रेषित कर दी जायेगी।
    - ➢ बैंक इन सखियों के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में समूहों का लिंकेज कर सकते हैं।

(कार्यवाही : संबन्धित बैंक)

4. <u>Providing a Basic Bouquet of Financial Services (Micro Insurance and Micro Pension)</u> :

<u>Social Security Schemes</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
    - ➢ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कमी का मुख्य कारण नवीनीकरण में बी.सी. का पारिश्रमिक षून्य होना, योजना अंतर्गत प्रीमियम राषि में बृद्वि तथा नवीनीकरण हेतु आवेदक से mandate प्राप्त न होना है।
    - ➢ समस्त बैंकों से आग्रह किया गया कि वे षून्य षेष खाताधारकों से सम्पर्क कर इन खातों को Operative / Active खाता बनाये।
    - ➢ दिनांक 15.02.23 से दिनांक 15.08.23 तक ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित वित्तीय समावेषन कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत अधिक से अधिक नागरिकों को आच्छादित किया जाय।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
    - ➢ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने हेतु सूचना विभाग योजनाओं का प्रचार–प्रसार करें।
    - ➢ राज्य में आयोजित समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी कैम्पों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी नागरिकों को प्रदान की जाय।
    - ➢ समस्त जिलाधिकारियों को योजनाओं के प्रचार–प्रसार, जन–जन को योजनाओं के प्रति जागृति करने हेतु सूचित किया जाय।
    - ➢ पी.एम.जे.डी.वाई. खातों के षून्य षेष खाताधारकों को भी Rupay Card निर्गत किये जांय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग / सूचना विभाग / समस्त बैंक)

5. <u>Credit Indicators</u> :

- अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड षासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य के नवसृजित जिलों बागेष्वर, चम्पावत एवं रुद्रप्रयाग के जिला सहकारी बैंक से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट के आंकड़े क्रमषः अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं चमोली जिलों में प्रदर्षित होते हैं। अतः इस विषयक निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड आवष्यक कार्यवाही करें।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य के कई जिलों में आतिथि तक वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु Scale of Finance (SoF) का निर्धारण नही हुआ है, इसे अतिषीघ्र निर्धारित किया जाना चाहिए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य में कार्यरत किसानों को न्यूनतम निर्धारित राषि ऋण के रुप में प्रदान की जानी चाहिए तथा तदानुसार SoF का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही : निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

6. <u>C.D. Ratio</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि राज्य का ऋण जमा अनुपात बढाये जाने हेतु बैंकों को बड़े ticket size के ऋण आवेदन पत्र स्वीकृत/वितरित किये जाने की आवष्यकता है, जिसमें समस्त विभागों का सहयोग आवष्यक है।
- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा राज्य में ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने हेतु निम्नवत सुझाव दिये गये :
  - राज्य में काफी संख्या में पंजीकृत एवं अपंजीकृत कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) कार्यरत हैं, जिनको अधिकाधिक ऋण प्रदान कर ऋण राषि में बृद्वि की जा सकती है।
  - एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (AIF) के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रदान कर, ऋण राषि में बृद्वि की जा सकती है।
  - स्वयं सहायता समूह में लिंकेज की संख्या तथा ऋण राषि में बृद्वि की जानी चाहिए।
- अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एषोसियेषन, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :
  - अधिकांष बैंकों द्वारा रु. 10.00 लाख तक की ऋण राषि पर सम्पार्ष्विक प्रतिभूति (Collateral Security) की मांग की जाती है।
  - एम.एस.एम.ई. अंतर्गत ऋण खातों के बन्द हो जाने के उपरांत, काफी लम्बे समय तक CIBIL update नही हो रही है, जिस कारण वे पुनः ऋण लेने हेतु पात्र नही हो पाते हैं।
  - अधिकांष जिलों में बैंकों द्वारा Specialised MSME षाखा नही खोली गयी है।
    अतः उपरोक्त बिन्दुओं को मध्यनजर रखते हुये तथा उनमें सुधार कर भी ऋण–जमा अनुपात बढाया जा सकता है।
- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - राज्य के ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि के लिए कार्य योजना (Action Plan) बनाये जाने हेतु उप–समिति का गठन किया जाय, जिसमें वित्त, पर्यटन, एम.एस.एम.ई., कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेषनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक को सदस्य बनाया जाय।

(कार्यवाही : वित्त विभाग/सम्बन्धित विभाग/समस्त बैंक)

7. <u>Financial Literacy Indicators</u> :

<u>Skill Development Initiative</u> :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - आरसेटी एवं यू.एस.आर.एल.एम. विभाग द्वारा आयोजित कैम्पों में प्रषिक्षणार्थियों एवं क्रेडिट लिंकेज की संख्या में काफी अंतर है। अतः अधिक से अधिक प्रषिक्षणार्थियों का क्रेडिट लिंकेज किया जाना सुनिष्चित करें।
  - कैम्पों में आयोजित गतिविधियों का पूर्ण विवरण एवं इस विषयक प्रगति की जानकारी नियमित अंतराल पर एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।
  - आयोजित कैम्पों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं विषयक पूर्ण जानकारी प्रतिभागियों को प्रदान की जाय तथा जन–जन तक इसका प्रचार–प्रसार करें।
  - सम्बन्धित विभाग एवं बैंकों के अधिकारी अपने नजदीकी आरसेटी में भ्रमण करें।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/आरसेटी/यू.एस.आर.एल.एम./सम्बन्धित विभाग/समस्त बैंक)

8. <u>Govt. Sponsored Loan Schemes</u> :

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देषित किया गया :
  - विभिन्न ऋण योजनाओं अंतर्गत निरस्त किये गये ऋण आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है। अधिक निरस्तीकरण के कारणों की समीक्षा हेतु एक उप–समिति का गठन करें।
  - निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण पोर्टल में अंकित किया जाय तथा इसकी जानकारी आवेदक को दी जाय।

(कार्यवाही : सम्बन्धित विभाग/समस्त बैंक)

9. <u>NABARD</u> :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि रुरल हाट हेतु नाबार्ड द्वारा हाट स्थापित करने हेतु रु. 15.00 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसके लिए भूमि की उपलब्धता होनी आवष्यक है। षासन/प्रषासन रुरल हाट हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान कर सकते हैं, जहां पर साप्ताहिक बाजार प्रारम्भ किया जा सकता है।

10. <u>जनपद चमोली के जोषीमठ क्षेत्र में भू–स्खलन एवं भू–धंसाव विषयक</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :
  - नगर पालिका क्षेत्र जोषीमठ में कार्यरत राष्ट्रीयकृत, व्यवसायिक एवं ग्रामीण बैंक ऋण खातों में 12 माह की ऋण स्थगन (moratorium period) अवधि दर्ज करें।
  - अग्रणी जिला प्रबन्धक इस विषयक जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) की बैठक में चर्चा करें।

(कार्यवाही : एल.डी.एम., चमोली/सम्बन्धित बैंक)

बैठक के अंत में उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा अपर मुख्य सचिव, वित्त, सचिव, कृषि एवं ग्राम्य विकास, अपर सचिव, ग्राम्य विकास, अपर सचिव, पर्यटन, उतराखण्ड षासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेषक, भारतीय रिजर्व बैंक, महाप्रबन्धक, नाबार्ड, अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एषोसियेषन, उत्तराखण्ड एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों एवं समस्त प्रतिभागियों का बैठक में प्रतिभागिता करने हेतु धन्यवाद व्यक्त किया गया तथा आष्वस्त किया गया कि बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देषों का समस्त बैक अनुपालन करेंगे तथा रेखीय विभाग के सहयोग से सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सार्थक प्रयास करेंगे।

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)